

**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश**

**पी.एम.टी. 2009 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु)
स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रथम काउंसिलिंग की सूचना**

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के पांच स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर में एमबीबीएस/बीडीएस की उपलब्ध सीटों पर आवंटन हेतु दिनांक **15.07.2009** से दिनांक **20.07.2009** तक प्रातः **10.00** बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
15.07.09	स्कूटनी	अ0ज0जा0 एम.पी. (सैनिक) अ0ज0जा0 एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
16.07.09	आवंटन	अ0ज0जा0एम0पी0 (सैनिक) अ0ज0जा0एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
16.07.09	स्कूटनी	अनु0जाति एम0पी0 (सैनिक) अनु0 जाति एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अनु0जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक

17.07.09	आवंटन	अनु०जाति एम०पी० (सैनिक) अनु०जाति एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनु०जाति पी०एच० (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
17.07.09	स्कूटनी	अ.पि.व. एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व.एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
18.07.09	आवंटन	अ.पि.व.एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व. एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 140 तक
18.07.09	स्कूटनी	अनारक्षित, एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित, एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक
19.07.09	आवंटन	अनारक्षित एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 150 तक

19.07.09	स्कूटनी	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 151 से 300 तक
20.07.09	आवंटन	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 151 से 300 तक

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे हैं ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन स्वशासी दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय रुपये 1.80 लाख से अधिक है, वे रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट पीएमटी नियम-2009 के नियम 7.1 एवं 7.1.2 के अनुसार "संचालक चिकित्सा शिक्षा, मप्र भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2009 के बिन्दु क्र. 9.5 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व पीएमटी नियम 2009 का भली भांति अध्ययन कर लें, यदि किसी कारण से उम्मीदवार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कोई पाठ्यक्रम अथवा महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा, हालांकि वे अपना नाम, लिखित प्रार्थना कर प्रतीक्षा सूची में रख सकते हैं । इस प्रकार "आप्ट फॉर वेंटिंग" रखने वाले उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी काउंसिलिंग के समय बुलाया जायेगा ।

1- यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2- एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोट:- भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगे ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

**संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश**

**पी.एम.टी. 2009 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु)
निजि (प्रायवेट) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की प्रथम काउंसिलिंग की
सूचना**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 क्रमांक 13111/09 में पारित आदेश दिनांक 27.5.09 के परिपालन में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2009 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के निजी (प्रायवेट) चिकित्सा महाविद्यालयों एवं निजि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस/बीडीएस की उपलब्ध सीटों पर आवंटन हेतु दिनांक **17.07.2009** से दिनांक **22.07.2009** तक प्रातः **10.00** बजे से गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :-

काउंसिलिंग कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
17.07.09	स्कूटनी	अ0ज0जा0 एम.पी. (सैनिक) अ0ज0जा0 एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 350 तक
18.07.09	आवंटन	अ0ज0जा0एम0पी0 (सैनिक) अ0ज0जा0एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अ0ज0जा0पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 350 तक
18.07.09	स्कूटनी	अनु0जाति एम0पी0 (सैनिक) अनु0 जाति एफ0एफ0 (स्वतंत्रता सेनानी) अनु0जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 300 तक

19.07.09	आवंटन	अनु०जाति एम०पी० (सैनिक) अनु०जाति एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनु०जाति पी०एच० (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 300 तक
19.07.09	स्कूटनी	अ.पि.व. एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व.एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 300 तक
20.07.09	आवंटन	अ.पि.व.एम०पी० (सैनिक) अ.पि.व. एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अ.पि.व. पी०एच० (विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 300 तक
20.07.09	स्कूटनी	अनारक्षित, एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित, एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 500 तक
21.07.09	आवंटन	अनारक्षित एम०पी० (सैनिक) अनारक्षित एफ०एफ० (स्वतंत्रता सेनानी) अनारक्षित पी०एच० (विकलांग) अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से समस्त पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 500 तक

21.07.09	स्कूटनी	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 501 से 800 तक
22.07.09	आवंटन	अनारक्षित (ओपन)	मेरिट क्र. 501 से 800 तक

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे हैं ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग में उपस्थित होने पर जिनका आवंटन निजि दंत एवं चिकित्सा महाविद्यालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय रूपये 1.80 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट "संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल" के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2009 के बिन्दु क्र. 16.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व पीएमटी नियम 2009 का भली भांति अध्ययन कर लें, यदि किसी कारण से उम्मीदवार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कोई पाठ्यक्रम अथवा महाविद्यालय का चयन नहीं करते हैं तो उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा, हालांकि वे अपना नाम, लिखित प्रार्थना कर प्रतीक्षा सूची में रख सकते हैं । इस प्रकार "आप्ट फॉर वेंटिंग" रखने वाले उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी काउंसिलिंग के समय बुलाया जायेगा ।

1- यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2- एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोट:- भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगे ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश